

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



# उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला सहारनपुर  
तहसील नकुड़  
आवेदन क्र० 181320030006143  
प्रमाणपत्र क्र० 013183001964

जारी दिनांक: 29/01/2018

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुदित वर्मा  
पुत्र/पुत्री श्री संजय वर्मा  
माता का नाम श्रीमती सुमन वर्मा  
निवासी 0, छत्ता शिव चौक मंगोह  
ग्राम नकुड़  
तहसील सहारनपुर  
जिला सहारनपुर



उत्तर प्रदेश राज्य की हरीपी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुदित वर्मा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शान्तादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, में आवृत्ति नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के पिछे सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: उमंग शर्मा, सीएमएम जन सेवा केंद्र  
पद: उमंग शर्मा, केन्द्र प्रचारी  
स्थान: चकवाली, नकुड़, CHAKWALI, मंगोह  
7, सहारनपुर  
दिनांक: 29/01/2018  
हस्ताक्षर एवं मुहर

KUMAR  
MAHENDRA

Digitally Signed by  
KUMAR MAHENDRA  
On Personal/Smart/ITWR  
PRADSH

मध्यम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षर  
नकुड़, सहारनपुर  
दिनांक: 29/01/2018

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा सत्यापित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://eDistrictUP.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० निर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, मान्यता प्राप्त किया जा सकता है।